वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 23.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 23.04.2025

वीडीए के अपर सचिव ने 43 निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने कई जगहों का निरीक्षण किया। सारनाथ जोन में पांडेयपुर से आजमगढ़ रोड का निरीक्षण किया। यहां 43 स्थलों के निर्माणों को देखा। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को 7 दिन में शमन मानचित्र जमा कराने के निर्देश दिए। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 23.04.2025

आवासीय में व्यावसायिक निर्माण पर करें कार्रवाई

वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश के बाद भी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लगने पर अपर सचिव गुडाकेश शर्मा खुद क्षेत्र में निकल पड़े। जोन दो के सारनाथ वार्ड में पांडेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक 43 स्थलों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई आवासीय भवनों में व्यावसायिक निर्माण पाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार को सात दिन के अंदर कार्रवाई करते हुए उन्हें शमन मानचित्र दाखिल कराने को कहा। भवन स्वामी की ओर से शमन मानचित्र दाखिल नहीं करने पर उन्हें नोटिस जारी करने को कहा। तय अवधि में जवाब नहीं देने पर उन भवनों को सील करने की कार्रवाई करें। उक्त भवन में किसी भी दशा में निर्माण जारी नहीं होना चाहिए।

न्यायाधीश–दि0 23.04.2025

अपर सचिव वाविप्रा ने किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के उपाध्यक्ष श्री पुलकिग गर्ग के निदेशानुसार अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-2 सारनाथ के अन्तर्गत पाण्डेयपुर से आजमगढ़ रोड पर प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत रोड के दोनों तरफ निम्न प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 43 स्थलों/ निर्माणों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण गतिमान पाया गया। जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार का 07 दिवस में कृत कार्यवाही के अन्दर शमन मानचित्र जमा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गयीं ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 23.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण अपर सचिव ने स्थलीय निरीक्षण किया

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के उपाध्यक्ष पुलकिग गर्ग के निर्देश पर अपर सचिव गुडाकेश शर्मा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जोन-2 सारनाथ के अन्तर्गत पाण्डेयपुर से आजमगढ़ रोड पर प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत रोड के दोनों तरफ निम्न प्रकरणों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 43 स्थलों/निर्माणों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवासीय एवं बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण गतिमान पाया गया। जोनल अधिकारी, प्रकाश कुमार का 07 दिवस में कृत कार्यवाही के अन्दर शमन मानचित्र जमा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।